न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद सं०–MP-19 /2017

धारा–144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

सहदेव मुण्डा वगैरह .... प्रथम पक्ष

बनाम

सोमा मुण्डा वगैरह.......................................द्वितीय पक्ष

आदेश

08/05/18

प्रस्तुत वाद में आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि निम्न विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष जोरजबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। द्वितीय पक्ष के हाथों शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्ध धारा–144 द०प्र०सं० के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

भूमि का विवरणी

मौजा–चोकाहातु,टोला–कुटीडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
434	1618	0.30 ए0 मध्ये 0.02 एकड़	उत्तर–नीज प्रथम पक्ष दक्षिण–रास्ता पूरव–नीज प्रथम पक्ष पश्चिम–नीज प्रथम पक्ष

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपना–अपना पक्ष दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:–

1. विवादित जमीन आर0 एस0 खाता संख्या–434 खतियान में छुटु मुण्डा वो सागर मुण्डा पेशरान सोहन मुण्डा कौम मुण्डा साकिन देह टोला कुटीडीह बहिस्सा बराबर दर्ज है एवं खाता संख्या–434 में सिकमी खातेदार डोमन मुण्डा वगैरह का भी नाम दर्ज किया गया है, जिसका खाता संख्या–43 है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है। द्वितीय पक्ष गण खाता संख्या–434 के खातेदार छुटु मुण्डा के सिकमी खातेदार डोमन मुण्डा वगैरह जिसका खाता संख्या–43 के वंशज है।
2. यह है कि खाता संख्या–434 के सिकमी खातेदार डोमन मुण्डा वो प्रसाद मुण्डा के मृत्यु के पश्चात प्रथम पक्ष दखल में आये। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष के लोग घर बनाने हेतु नींव खोद रहे थे, तो मना करने पर मारने पीटने की धमकी देने लगेएवं जान से मारने की धमकी दी गई। विवादित जमीन में द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा– 144 के कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है।

बहस के दौरान प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि विवादित जमीन में दखल कब्जा को लेकर विवाद है। वाद को धारा– 145 द0 प्र0 सं के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है।

8-05-18

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये है :–

1. विवादित जमीन आर0 एस0 खतियान में डोमन मुण्डा वो प्रसाद मुण्डा पेशरान– वैजनाथ मुण्डा कौम मुण्डा साकिन देह टोला कुटीडीह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। लगान पाने वाला खुदराय मुण्डा वगैरह जमीनदार दर्ज है। विदित खाता के सभी रकवा की मालगुजारी वर्त्तमान जमीनदार गोपाल सिंह मानकी को नियमित रूप से अदा करते आ रहे है। द्वितीय पक्ष आर0 एस0 खतियान में डोमन मुण्डा वो प्रसाद मुण्डा पेशरान– वैजनाथ मुण्डा के वंशज है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का पक्का मकान का निर्माण कार्य पूर्ण है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का दखल नहीं है। प्रथम पक्ष परेशान करने के नियत से मुकदमा दायर किया गया है। उन्होने वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एव उभय पक्ष के द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर दावा कर रहे है एवं द्वितीय पक्ष विवादित जमीन को सिकमी खातेदार के वंशज के आधार पर दावा कर रहे है। विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में स्वत्व को लेकर विवाद प्रतीत होता है। जो दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद को खारिज किया जाता है। आहत पक्षकार न्याय हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

08/05/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

08/05/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:16:08 +05:30
Location: 10.93.79.10